न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 26 / 2022

1. फरजान
2. सबिला पुत्रीयान आमीन नाबालिगान बलि सरपस्त माता खुद अरफीना पत्नि आमीन
3. अरफीना पत्नि आमीन जातियान मेव निवासी ग्राम घाटा शमशाबाद तहसील फिरोजपुर झिरका हाल आबाद निवासी ग्राम टपकन तहसील व जिला नूँह (मेवात) हरियाणा

प्रार्थीगण

बनाम

1. आमीन पुत्र रहमुद्दीन जाति मेव निवासी ग्राम घाटा शमशाबाद तहसील फिरोजपुर झिरका हरियाणा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0

1. श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थीगण
2. श्री मौहम्मद खाँ वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :–18 / 02 / 2022

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 52 / 0.31, 146 / 0.48 बांके ग्राम छपरा तहसील पहाडी में स्थित है उक्त आराजी की बाबत न्यायालय श्रीमान के पारित निर्णय दिनांक 30 / 12 / 2019 को अपास्त करते हुये । पुनः विचारण हेतु न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किये जा चुके है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रेषित है। आराजी मुत0 प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने गांव विशम्बरा की पैतृक आराजी बेचकर संयुक्त रूप से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की है चूँकि अप्रार्थी संख्या 1 परिवार का मुखिया एवं कर्त्ता खानदान है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 ने चुपचाप बिना प्रार्थीगण को बताये आराजी मुत0 का बयनामा अपने नाम तहरीर करा लिया परन्तु उसी समय से प्रार्थीया अपने बच्चों की आराजी को शान्ति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 बदमाश प्रवृत्ति का

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

व्यक्ति है जो अमूमन गलत हरकतों की वजह से बाहर रहता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को एलानिया धमकी दिनांक 07/01/2022 को मोबाईल पर दी है कि मैंने डिक्री को तुड़वादिया है अब मैं उक्त आराजी को जबरदस्ती दीगर लोगो को व अपनी दूसरी पत्नि आसमीना के नाम करा रहूँगा उक्त आराजी के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई आय का साधन नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 52/0.31, 146/0.48 हैक्टर वाके ग्राम छपरा तहसील पहाडी को रहन वय मुन्तकिल ना करे एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया। जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की गरज से झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी ट्रक चलाता है और मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है तथा मेहनत मजदूरी कर अप्रार्थी ने आराजी मुत0 को खरीद किया था इसलिए आराजी प्रार्थी की स्वयं की अर्जित आराजी है तथा आराजी पैतृक आराजी नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी आराजी खसरा नम्बर 52/0.31, 146/0.48 हैक्टर वाके ग्राम छपरा तहसील पहाडी को रहन वय मुन्तकिल ना करने एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा आराजी को पैतृक सम्पति बताया है। परन्तु कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। प्रार्थीगण द्वारा कब्जे के संबंध में भी कोई दस्तावेज/रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई है। आराजी अप्रार्थी की स्वयं की अर्जित आराजी है तथा आराजी पैतृक आराजी नहीं है। इसलिए अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)